

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 06 फरवरी, 2019

संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1677/श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(बी एच : 86), अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना(अतिरिक्त प्रभार-परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1678/श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0(बी एच :95), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-आयुक्त, मनरेगा) अगले आदेश तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1679/श्री मनोज कुमार, भा0प्र0से0(बी एच :2007), अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना) अगले आदेश तक कार्यपालक निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1680/श्री सतीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(बी एच :2008), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल(अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1681/श्री रवि शंकर चौधरी, भा0प्र0से0(बी एच : 2011), संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें अरवल जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री रवि शंकर चौधरी अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1681/पटना-15, दिनांक: 06 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) ,बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/ /संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।